संख्या:71/2026/1216/कृशिअ-67-1002(002)/14/2026

प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग **लखनऊ: दिनांक 18 जून, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध कृषि महाविद्यालय, हरदोई की स्थापना हेतु गैर वेतन मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पत्रांक:सीएसयूपी-195/बजट हरदोई/2026-27, दिनांक 27.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2026-27 में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध कृषि महाविद्यालय, हरदोई की स्थापना हेतु गैर वेतन मद में प्रावधानित धनराशि रू0 423.50 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 105.88 लाख (रूपये एक करोड़ पांच लाख अठ्ठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. धनराशि कोषाकार से आहरित करके प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन नहीं किया जायेगा/ किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग भी नहीं किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अगली किश्त निर्गत की जायेगी।
7. प्रायोजनान्तर्गत उपकरणों/सामग्रियों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।
8. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करते समय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16 ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस संबंध में वित्त (लेखा अनुदान) द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/दस-15-(1)/63, दिनांक 17.01.1979 में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनदेश संख्या-ए-2364/दस-15-(1)/63, दिनांक 17.01.1979 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा।
11. विश्वविद्यालय के लेखों का परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा। उक्त अनुदान को अंतिम रूप से समायोजन विश्वविद्यालय द्वारा किये गये वास्तविक व्यय, कृषि विश्वविद्यालय की चालू वर्ष के लेखों पर आडिट रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा,
12. अनुदान के देयक जो कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और अर्थ नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
13. कुलपति / वित्त नियंत्रक अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ को सूचित करेंगे तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना भी उपलब्ध करायेंगे।
14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231-/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,05,88,000 (रुपये एक करोड़ पाँच लाख अट्ठासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2415801203200 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध राजकीय कृषि महाविद्यालय, हरदोई की स्थापना **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231-/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज ।
3. मण्डलायुक्त / कोषाधिकारी, कानपुर ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उ0प्र0, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर ।
6. सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।